Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर

संतोष बाई बनाम क्षैत्रिय वन अधिकारी

किस्म मुकदमा 223 आर टी एक्ट.............अपील संख्या 35/21 GCMS NO 2021/59

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.3.25	उभयपक्ष अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस अपील पर सुनी गई। अपीलांट ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी ख0न0 62/1505 रकबा 3 बीघा वारानी वाके ग्राम चैनपुर तहसील मासलपुर मे वादिया की खातेदारी मे दर्ज है जिसका नक्शा उप जिला कलेक्टर करौली के निर्णय दिनांक 30.5.2000 के मुताबिक मौके पर तरमीम हुआ है। इस प्रकार रेस्पो0के खिलाफ दावा पूर्व मे डिक्री हो चुका है। नियमानुसार तरमीम दिनांक 28.11.15 तक बदस्तुर सही रही है। उक्त तरमीम को वन विभाग द्वारा मनमाने तरीके से नक्शे के अंदर बीच मे नये सिरे से लाल स्याही से लाईन डालकर अपीलांट की जमीन मे डाल दिया है। जबकि अपीलांट को जिस समय जमीन दी गई उसी पर काबिज चले आ रहे है। इस नई तरमीम की वजह से अपीलांट को भूमि से बेदखल करने की धमकी दी गई। इसके कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी विधि विरूद्व तरीके से स्वीकार किया जाकर वादी/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किया है। जो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर वादी/अपीलांट के पक्ष मे पारित डिक्री दिनांक 30.5.2000 के अनुसार ही नक्शे मे तरमीम की जावे तथा रेस्पो0 द्वारा लाल स्याही से मनमाने तरीके से नक्श के अंदर बीच मे नये सिरे से की गई तरमीम को दुरूस्त किया जावे तथा रेस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे अपीलांट को विवादित आराजीयात से बेदखल नही करे। रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस मे तर्क दिया कि वादी/अपीलांट द्वारा जब पूर्व मे उसी आराजीयात को लेकर अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया जा चुका है तो उसको पुनः उसी आराजीयात के बाबत दावा पेश करने का कोई अधिकार नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सीपीसी के प्रावधानो के तहत ही प्रतिवादी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर अपीलांट/वादी का वाद पत्र विधि अनुसार खारिज किया जाकर वादिया को तरमीम के संबंध मे सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र किया है। जिस पर वादिया/अपीलांट को समक्ष न्यायालय मे चाराजोही करनी चाहिए थी परन्तु वादिया/अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना नही कर सीधे ही माननीय न्यायालय मे अपील पेश की गई है। इस प्रकार अपीलांट/वादिया द्वारा प्रस्तुत अपील श्रवणाधिकार से बाहर होने से खारिज फर[illegible] उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर म[illegible] किया। अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे [illegible] तथ्य सामने आये कि वादिया/अपीलांट द्वारा विवादित [illegible] बाबत अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर करौली के वाद पत्र 188 [illegible] टी एक्ट के तहत प्रकरण संख्या 24/95 दायर किया गया था। जिस अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया के पक्ष मे दिनांक 30.5.2000 मे डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण/रेस्पो0 को पाबन्द किया गया था। वादिया /अपीलांट द्वारा नक्शे मे वन विभाग द्वारा गलत रूप से की गई तरमीम को दुरूस्त कराने हेतु अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय ने वादिया/अपीलांट का वाद पत्र सीपीसी के प्रावधान आदेश 7	

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते
राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर
Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:49:46 IST
Reason: SelfAttested

नियम 11 से वाधित होने के कारण खारिज किया जाकर तरमीम को दुरूस्त कराने हेतु समक्ष न्यायालय मे चाराजोही करने के लिए निर्देशित किया गया था। अपीलांट/वादिया द्वारा उक्त तरमीम की शुद्वीकरण की कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय मे चाराजोही नही करे सीधे ही इस न्यायालय मे अपील पेश की गई है। तरमीम के प्रकरणो की सुनवाई का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के श्रवणाधिकार मे नही होने से खारिज योग्य है।

अपीलांट/वादिया तरमीम की शुद्वीकरण हेतु सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है।

अपील अपीलांट श्रवणाधिकार के बिन्दु पर खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के प्रकरण संख्या 3/19 निर्णय दिनांक 9.4.21 की पुष्टि की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:49:46 IST
Reason: SelfAttested